न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां (राज०)
पीठासीन अधिकारी :- श्री दिवांशु शर्मा (R.A.S.)

प्र. सं. 76/18

प्रार्थना पत्र

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां
— प्रार्थी/वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कालूलाल जाति रैगर निवासी इकलेरा
2. केशरीलाल पुत्र देवलाल जाति तेली निवासी इकलेरा
3. प्रभारी चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकलेरा

— अप्रार्थी/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 42 सपठित धारा 175-177 आर.टी.ए.

बाबूलाल पुत्र कालूलाल जाति रैगर निवासी इकलेरा तहसील बारां
— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां
2. केशरीलाल पुत्र देवलाल जाति तेली निवासी इकलेरा
3. प्रभारी चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकलेरा

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 CPC

उपस्थित :- 1. श्री ओमप्रकाश मेहता एड. प्रार्थी
2. " ओम भारद्वाज एड. अप्रार्थी 2

निर्णय दिनांक 26.02.2021

प्रार्थी की ओर से जरिये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 42 व सपठित धारा 175-177 आर.टी.ए. में न्यायालय [illegible] इकलेरा की आराजी ख.नं. 643 [illegible] अप्रार्थी क्रम 2 को [illegible] 42 का उल्लंघन [illegible] 175-177 RTA के [illegible] उक्त आराजी को [illegible] दर्ज करने का प्रकरण पेश हुआ जो श्रीमान न्यायालय द्वारा प्र.सं. 6/16 आदेश दिनांक 26/10/17 राजस्थान सरकार बनाम बाबूलाल वगैरा में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

--- P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:38:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

(2)

बाबत ग्राम कुम्हेरा की आराजी ख.नं. [illegible] रकबा 0.54 हे. को सिवायचक दर्ज करने [illegible] आदेश प्रदान किये जिसकी पालना में अप्रार्थी आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई। उक्त आदेश की अपील प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर कोटा रहे की जो अपील सं. 196/2017 अडकवान बाबूलाल बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 26/10/17 को माननीय न्यायालय RAA कोटा द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ निर्णय दिनांक 12/2/18 द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। जिसमें वे उक्त आराजी की रिकार्ड की स्थिति निर्णय दिनांक 26/10/17 समाप्त होने से उसके पूर्व की प्रार्थी बहाल हुआ था सकते हक अधिकारी एवं काबिजी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम कुम्हेरा की आराजी ख.नं. 643 रकबा 0.54 हे. को पुनः सिवायचक से प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। विपक्षी सरकार के जवाब हेतु पर्याप्त समय दिया जाने के उपरांत भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उनको दिनांक 3/6/19 को पाबंद करने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं हुआ।

अप्रार्थी क्रम 2 की ओर से वर्षो अभिभावक जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का विरोध कथन मय क्रम आशय का पेश किया कि प्रार्थी की आवंटनशुदा आराजी ख.नं. 643 रकबा 0.54 हे. का कैवाल उसने अप्रार्थी क्रम 2 को वर्षो स्थाई नामा दिनांक 23/5/17 को [illegible] मौके बारहमाह पर प्रार्थी का कब्जा [illegible] तथा उक्त आराजी पर [illegible] विद्यालय [illegible] जाव होने से तहसीलदार बारां द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175-177 आर.टी.ए. का पेश किया जिसे न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 26/10/17 को निर्णय पारित कर स्वीकार किया जाकर आराजी सिवायचक

[illegible]
उप खण्ड अधिकारी
बारां

[illegible] कब्जे के [illegible] प्रार्थी के आवेदन [illegible] एवं पदेन सहायक [illegible] आदेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:38:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

के आदेशानुसार किये जिसकी पालना प्रार्थी के माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन सहायक अपील अधिकारी कोटा के यहां अपील करने पर पूर्व में सुनी थी तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार कर अपील को दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की है कि प्रकरण में लेखीय जवाब तथा उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर गुण दोष से निर्णय पारित करे उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में लंबित है जिसका निस्तारण दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर न्यायालय श्रीमान को करना है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि 144 की कार्यवाही न्यायालयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात समाप्त होती है परन्तु उक्त प्रकरण अभी लंबित है तथा मूल प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थी की आराजी निर्णय दिनांक 26/10/17 की पालना में सिवायचक दर्ज की गई थी तथा न्यायालय श्रीमान के उक्त निर्णय दिनांक 26/10/17 को माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 12/2/18 द्वारा अपास्त कर दिया गया है। अतः प्रार्थी के खाते में पूर्व की तरह अमल किया जाकर कब्जे के दिन की स्थिति बहाल की जावे।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि चूंकि न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में धारा 144 सी.पी.सी. के [illegible] है। प्रकरण माननीय [illegible] द्वारा न्यायालय श्रीमान [illegible] प्रेषित [illegible] धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

--P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:38:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

(5)

मैंने बहस उभयपक्ष पर ध्यान दिया, संपूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम वकील प्रार्थी पक्ष के कथनों से पूर्णतया सहमत हैं क्योंकि अभी प्रकरण में अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 सी. पी. सी. पोषणीय होना नहीं पाया जाता है।

अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26/2/2021 को हमारे द्वारा लिखवाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उप जिलाधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2021.04.22 16:38:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner